न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3333–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–9–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल प्रकरण कमांक 6/अ–13/2013–14.

रामजी वल्द शंकर नरवरे
निवासी ग्राम कोपरा
तहसील आठनेर जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1– हिम्मत सिंह वल्द देवसू मृतक
द्वारा जम्मकीबाई पुत्री स्व. श्री हिम्मतसिंह
2– धनराज पुत्र गब्बा किराड
3– किशोरी पुत्र महेगू कुम्हार
4– गुलाबराव पुत्र दयाराम मेहरा
5– फत्तुराम पुत्र रूपचन्द किराड
6– जोहरू पुत्र चैतू गोण्ड
7– भैयालाल पुत्र चन्दरसा गोण्ड
8– रम्मो बेवा भुरासिंग गोण्ड
9– ओझा वल्द भुरासिंग गोण्ड
10– मुनिया जौजे भुतू गोण्ड
11– चिक्कू वल्द हरिसिंग गोण्ड
ओर से मनोज वल्द चिक्कू गोण्ड
12– नितिन तथा रवि दोनों नाबालिक वली पिता
जगदीश वल्द रामत किराड
13– रामप्रसाद वल्द रूपचंद किराड
14– फूसे वल्द रामसू गायकी
15– डोमा वल्द भूता धुर्वे
16– नेतराम वल्द डोमा नरवरे
17– गोरेलाल वल्द सोमलाल उईके
निवासीगण ग्राम कोपरा
तहसील आठनेर जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री आर.के. जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री मोहन ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश 5–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोपरा प.ह.नं. 28 तहसील आठनेर जिला बैतूल स्थित उनके स्वामित्व की भूमि पर आने–जाने के रास्ते को आवेदक द्वारा नाली खोदकर कांटे डाल दिये गये हैं, जिससे अनावेदकगण एवं ग्रामवासियों को अपने–अपने खेतों में जाने में अत्यधिक असुविधा हो रही है । अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–13/2013–14 दर्ज किया जाकर प्रारंभिक जांच कर संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संहिता की धारा 131 (अ) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जनहित में रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) अनावेदकगण को आने–जाने हेतु पूर्व से सरकारी रास्ता एवं सुविधा होते हुए भी असत्य आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक के

स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर से रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की है, जबकि आवेदक की भूमि पर से कोई भी सार्वजनिक रास्ता विद्यमान नहीं है और ना ही राजस्व अभिलेखों में दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों के विपरीत दस्तावेजों के अभाव में अपना एकपक्षीय आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा कौनसे खसरा नम्बर की भूमि पर रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की गई है और अधीनस्थ न्यायालय ने कौनसी भूमि पर से रास्ता खुलवाने का अंतरिम आदेश पारित किया है, इन तथ्यों का उल्लेख अनावेदकगण के आवेदन व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में नहीं किया गया है ।

(3) अनावेदकगण ने आवेदक की भूमि पर 200 मीटर रास्ता 200 वर्षों से विद्यमान होने का उल्लेख किया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और ना ही राजस्व अभिलेखों में इस संबंध में कोई उल्लेख है । असत्य आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक की भूमि पर से रास्ता खुलवाने का वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है ।

(4) आदेश के चरण कमांक 6 में उल्लेखित किया गया है कि प्रारंभिक जांच तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा स्थल निरीक्षण पंचनामा अनुसार प्रथम दृष्टया वादग्रस्त स्थल पर मार्ग होना तथा उस पर आवेदक द्वारा झाड़ियां डालकर खुदाई करवाकर अवरोध किया जाना पाया गया है, जबकि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि आवेदक की भूमि पर कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है और ना ही राजस्व अभिलेखों में दर्शाया गया है । अनावेदकगण के आने–जाने हेतु पृथक से सरकारी रास्ता व सुविधा है । उक्त विवादित स्थान पर आवेदक की कुटकी की फसल व पेड़ लगे हैं, जिसे ढोर, जानवर से सुरक्षित करने हेतु झाड़ियां लगाई गई हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की प्रार्थना पर विचार न कर एवं अनावेदकगण से सांठ–गांठ होने से राजस्व निरीक्षक ने झूठा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त विवादित रास्ता दर्शाया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तविकता के विपरीत व असत्य आधारों पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर पाया जाना एवं आवेदक द्वारा रोका जाना पाते हुए अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है और उनके द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदकगण की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर विधिवत स्थल निरीक्षण किया गया है । स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन मार्ग मौके पर होना तथा आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन मार्ग से अवरोध हटाये जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि वर्तमान में कोई रास्ता प्रश्नाधीन भूमि पर विद्यमान नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर रास्ता होना एवं अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर